www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 136 नागपुर, बुधवार, 12 अप्रैल 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

हवाई जहाज के टॉयलेट में मिला 6 किलो सोना, दिल्ली से बेंगलुरु जा रहा था प्लेन

नई दिल्ली

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) ने दिल्ली से बेंगलुरु के लिए उड़ान भर रहे एक विमान से 6 किलो सोना बरामद किया है। सोना हवाई जहाज के शौचालय में छुपाया गया था। पिछले कुछ समय से डीआरआइ के सामने ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। दरअसल, नोटबंदी के बाद ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें लोगों ने अपना काला धन सफेद करने के लिए सोना खरीदा। सोने की तस्करी के ऐसे कई मामलों में लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब भी कई जगह से 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट जब्त किए जा रहे हैं। हालांकि अब ये नोट रद्दी के ढेर के समान हैं। पिछले दिनों राजस्व खुफिया निदेशालय ने कोलकाता में एक व्यक्ति को तस्करी के 14 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया है। तस्करों को नगर बाजार में गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास 116 ग्राम वजन के सोने की 120 बिस्कीट भी जब्त किए गए।

सांई भक्तों को दर्शन में होगी आसानी, मई में शुरू हो रहा है शिरडी एयरपोर्ट

मुंबई

सांई बाबा के भक्तों के लिए शिरडी अब और करीब हो जाएगा। अगले माह मई से शिरडी एयरपोर्ट शुरू होने वाला है। यह बात एयरपोर्ट डिवेलपमेंट अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर विश्वास पाटिल ने बताई।

शिरडी एयरपोर्ट अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) द्वारा विकसित और प्रबंधित पहला एयरपोर्ट होगा। शुरुआत में इसे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और अन्य शहरों के साथ जोड़ा जाएगा। पाटिल ने बताया कि शिरडी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट उनकी सूची में पहला होगा। उन्होंने कहा, शिरडी में एयरपोर्ट लगभग तैयार है और इसे एमएडीसी द्वारा संचालित किया जाएगा। अगले महीने से उड़ान परिचालन शुरू हो जाएगी।

पाटिल के अनुसार, एमएडीसी पहले शिरडी से घरेलू उड़ानें संचालित करेगा। बाद में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी।

मलेशिया की पांच दिवसीय यात्रा पर पहुंचे भारतीय नेवी चीफ सुनील लांबा

नई दिल्ली

भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा से मलेशिया की पांच दिवसीय सद्भावना यात्रा पर हैं। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समुद्री संबंधों को मजबूत करने और बढ़ाने के उद्देश्य से है। इससे भारत और मलेशिया के बीच रक्षा संबंधों के बढ़ाने की उम्मीद है। एडमिरल सुनील लांबा अपनी इस पांच दिवसीय यात्रा के दौरान मलेशिया के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के साथ-साथ मलेशियाई रक्षा बलों के चीफ के साथ चर्चा करेंगे, जिनमें सेना प्रमुख, नौसेना और मलेशिया के वायु सेना प्रमुख शामिल हैं। भारतीय और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच इस दौरान प्रशिक्षण, संचालन के साथ-साथ कई विषयों पर बातचीत होगी। इससे दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आएगी। वैसे दोनों देशों में रिश्तों को मजबूत करने का दौर काफी समय से चल रहा है। दोनों नौसेनाओं से युद्धपोतों को एक दूसरे के बंदरगाहों पर जाने के लिए मैत्री का पुल बनाने के लिए रॉयल मलेशियाई नौसेना के चीफ (आरएमएन) ने लड़ाकू जलपोत केडी लेकियर के साथ फरवरी 2016 में विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय बेड़े की समीक्षा-2016 में भाग लिया था।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान, कहा-

18 महीने में खत्म कर देंगे 'तीन तलाक'

नई दिल्ली

'तीन तलाक' पर जारी बहस के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉ. सईद सादिक ने कहा कि तीन तलाक के मामले में सरकार दखल न दे, हम इसे खुद 18 महीने के भीतर खत्म कर देंगे। विवादास्पद मसले पर अपनी राय रखते हुए डॉ. सादिक ने कहा कि एआइएमपीएलबी खुद तीन तलाक के मसले से निपट लेगा, इसमें सरकार को दखल देने की जरूरत नहीं है।

मुस्लिम महिलाओं की गरिमा कम करता है 'तीन तलाक'

वहीं, केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा है कि तीन तलाक, निकाह हलाला और बहु विवाह मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक स्तर और गरिमा को प्रभावित करते हैं तथा उन्हें संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों से वंचित करते हैं। शीर्ष न्यायालय के समक्ष दायर ताजा अभिवेदन में सरकार ने अपने पिछले रुख को दोहराया है और कहा है कि ये प्रथाएं मुस्लिम महिलाओं को उनके समुदाय के पुरुषों की तुलना में और अन्य समुदायों की महिलाओं की तुलना में असमान एवं कमजोरबना देती हैं।

तीन तलाक और शरीयत के समर्थन में मिले 3.50 करोड़ फार्म

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (महिला) की राष्ट्रीय अध्यक्ष डा.अस्मा जोहरा ने रविवार को जयपुर में दावा करते हुए कहा कि तीन तलाक और शरीयत के समर्थन में पूरे देश से करीब 3.50 करोड़ फार्म मिले हैं। जोहरा ने जयपुर के ईदगाह में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों व चुनौतियों पर आयोजित एक कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमें शरीयत और तीन तलाक के समर्थन में देश भर की मुस्लिम महिलाओं की ओर से 3.5 करोड़ फार्म प्राप्त हुए हैं। इसका विरोध करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। उन्होंने कहा कि सबसे कम तलाक के मामले मुस्लिम समाज में हैं, जबकि माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे सबसे ज्यादा तलाक मुसलमानों में ही हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक साजिश है ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जा सके और महिलाओं के अधिकारों के नाम पर मुसलमानों के सामाजिक ताने-बाने को तोड़ा जा सके।

बोर्ड के सदस्य यास्मीन फारूखी ने कहा कि तीन तलाक के मामले में महिलाओं की आड़ लेने की कोशिश इसलिये की जा रही है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा की कमी है, इसलिए उन्हें आसानी से बेवकूफ बना दिया जायेगा, जबकि ऐसा है नहीं, मुस्लिम महिलाएं खुलकर शरीयत के समर्थन में आगे आयी है, यही वजह है कि शरीयत पर सवाल खड़ा करने वाली अनभिज्ञ महिलाओं की तादाद पांच-दस से ज्यादा नहीं होती है।■ शेष पृष्ठ 2 पर

सुषमा की पाक को चेतावनी

कुलभूषण को फांसी हुई तो बिगड़ेंगे रिश्ते

नई दिल्ली

पाकिस्तान में भारतीय कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज राज्यसभा में पाकिस्तान पर हमलावर रहीं। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर कुलभूषण को फांसी हुई तो भारत सरकार के साथ रिश्ते बिगड़ेंगे। वे इसके नतीजे भुगतने को तैयार रहें।

सुषमा ने कहा कि हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है, हम राष्ट्रपति तक भी बात करेंगे। जाधव को बचाने के लिए भारत सरकार आउट ऑफ द वे जाकर भी मदद करेगी।

कुलभूषण के खिलाफ जासूसी करने का कोई सबूत पाकिस्तान के पास नहीं है। भारतीय राजनायिकों को कुलभूषण जाधव से मिलने भी नहीं दिया गया। इससे पहले लोकसभा में सभी सांसदों ने पाकिस्तान के इस कृत्य का विरोध किया।

इससे पहले गृहमंत्री ने कहा कि यह साफ है कि कुलभूषण के पास भारतीय पासपोर्ट था और इसके बाद यह सवाल ही नहीं उठता कि वो जासूस था। उनका इरान से अपहरण किया गया था। हमें काउंसर एक्सेस नहीं दिया गया, लेकिन उसे बचाने के लिए जो भी हो सकेगा वो हर कोशिश की जाएगी।

इससे पहले फांसी की खबर आते ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया है। सदन में स्थगन प्रस्ताव देते हुए कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर उसे फांसी होती है तो इसे हम सोचा समझा मर्डर कहेंगे। अगर उसे बचा नहीं पाए तो यह सरकार की कमजोरी होगी।

नेशनल कॉफ्रेंस के अलग सुर

एक तरफ जहां जाधव की फांसी की सजा की चौतरफा आलोचना हो रही है, वहीं नेशनल कॉफ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल ने पाक का पक्ष लेते हुए कहा कि ये पाकिस्तान के कानून सम्मत कार्रवाई है। कमाल ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत का पाक पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। भाजपा नेता अनंत कुमार ने कहा कि पूरा सदन कुलभूषण जाधव के साथ है। एआइएमआइएम के प्रमुख असदुद्दीन औवेसी ने कहा कि पाक सेना की अदालत एक बनाना कोर्ट है जहां बिना सबूत के फैसले होते हैं। सरकार अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उसे सुरक्षित भारत लाए।

सुषमा की चेतावनी के बाद शरीफ की धमकी, कहा - सेना है तैयार

भारत के पूर्व नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में कथित जासूसी के आरोप में वहां के मिलिट्री ट्रिब्यूनल कोर्ट की तरफ से सुनाई गई मौत की सज़ा के बाद दोनों देशों में तनातनी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए सेना पूरी तरह से सक्षम और तैयार है। शरीफ का यह बयान कुलभूषण जाधव को जासूसी और इस्लामाबाद के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में दी गई फांसी की सज़ा के एक दिन बाद आया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा, पाकिस्तान शांति प्रिय देश है, लेकिन उसे कमजोरी के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। विवाद की जगह सहयोग और अविश्वास की जगह साझा समृद्धि हमारी नीति रही है। शरीफ ने यह बातें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह इलाके के नौशेरा जिले के रिसालपुर सिटी में असगर खान पाकिस्तान एयर फोर्स एकेडमी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने यह भी कहा कि वे सिर्फ अपने संप्रभुता की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बैठे नहीं रहेंगे।

गुजरात: नाव टकराने के बाद तीन पाकिस्तानी कमांडो की मौत

अहमदाबाद

सोमवार को झाखाऊ तट पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आइएमबीएल) के भारतीय किनारे पर करीब 10 समुद्री मील के आसपास एक दुर्घटना हुई, जिसमें पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी (पीएमएसए) के तीन कमांडो की मौत हो गई। हालांकि दो कमांडो को बचा लिया गया है और एक अब भी लापता बताया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल ने लापता पाकिस्तानी मरीन के संबंध में गुजरात समुद्री पुलिस को चेतावनी जारी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंडियन कोस्ट गार्ड (आईसीजी) के जहाज आरिंजेय के अधिकारी बचाव अभियान के लिए दुर्घटना स्थल पहुंचे थे, जहां तीन पाकिस्तानी समुद्री कमांडो के शव पाए गए थे और उन्हें पाकिस्तान को सौंप दिया गया है। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, दो अन्य पाकिस्तानी समुद्री कमांडो को बचा लिया गया है और तीनों शवों को पीएमएसए को सौंप दिया गया है। लापता नाव चालक की तलाश कर रही है। एक सद्भावना संकेत के रूप में, पीएमएसए ने सात भारतीय मछली पकड़ने की नाव को छोड़ा है, नौसेना के अधिकारियों ने गुजरात पुलिस को बताया, अधिकारी इस बात पर आश्वस्त नहीं हैं कि नौकाओं में से अब भी मछुआरा पाक कैद में हैं या नहीं। पीएमएसए भारतीय जल में नौकायन और भारतीय नौकाओं के अपहरण के लिए कुख्यात है।

वेलकम महाराष्ट्र *ब्रिटेन के संरक्षण मंत्री मायकेल फालन का मुंबई स्थित वर्षा निवास स्थान में स्वागत करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस*

नाबालिग से हुई दुर्घटना तो गाड़ी मालिक की खैर नहीं

नई दिल्ली

लोकसभा में सोमवार को मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन से संबंधित एक कानूनी मसौदे को मंजूरी दे दी गई। यह विधेयक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाता है। संशोधित विधेयक में नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने के दौरान हुई दुर्घटना पर गाड़ी मालिक को तीन साल जेल की सजा और दुर्घटना से पीड़ित को 10

गुना अधिक मुआवजा देने का प्रावधान है। इस बिल को बहुमत से पास कर दिया गया, जबकि विपक्ष के ज्यादातर सुझावों को खारिज कर दिया गया। एक्ट पास होने के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि ई-गवर्नेस सिस्टम लागू होने के बाद न तो कोई नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा और न ही कोई गोड़ी चोरी होगी। विधेयक में बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर 500 की जगह पांच हजार, शराब पीकर वाहन चलाने पर दो हजार की जगह दस हजार और निर्धारित सीमा से अधिक गति पर 500 की जगह पांच हजार रुपए के जुर्माने का भी प्रस्ताव है।

वह दिन दूर नहीं जब दुनिया की 5 टॉप इकॉनोमी में होगा भारत - राष्ट्रपति

नई दिल्ली

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जबकि संपूर्ण मूल्य के लिहाज भारत दुनिया की पांच टॉप अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा और भविष्य में देश की सार्वजनिक कंपनियों में कई नए सुनहरे पन्ने जुड़ेंगे।

यहां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शीर्ष संगठन स्कोप के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने 1956, 1973, 1980 व अंतत: 1991 में लाए गए महत्वपूर्ण बदलावों को रेखांकित किया। विशेषकर 1991 में जिसे उदारीकरण युग की शुरुआत माना जाता है और जिसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के द्वार खुले और आज वह उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर उबर रही है।

राष्ट्रपति ने कहा- वह दिन दूर नहीं जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था कुल मूल्य के लिहाज से शीर्ष तीसरे, चौथे या 5वें नंबर पर होगी। उन्होंने कहा कि क्रय क्षमता के लिहाज से तो भारतीय अर्थव्यवस्था पहले ही तीसरे स्थान पर है। मुखर्जी ने पूरा विश्वास जताया कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की गाथा अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि यह धीरे-धीरे सामने आ रही है और आने वाले वर्षों में कई और सुनहरे पन्ने इसमें शामिल होंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि उनके बारे में यह धारणा कि वह उस प्रणाली के निकले हैं, जिसका सार्वजनिक क्षेत्र में पूरा भरोसा था ठीक नहीं होगा, क्योंकि मंत्री के रूप में मेरा 35 साल का कार्यकाल समान रूप से उदारीकरण पूर्व व उदारीकरण के बाद के युग में बराबर-बराबर बंटा है। भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्री अनंत गीते ने कहा कि बीते कुछ साल में देश के सार्वजनिक उपक्रमों को चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

नए आयोग के लिए करना होगा इंतजार

नई दिल्ली

देश के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की सुनवाई के लिए पहली बार संवैधानिक व्यवस्था करने की केंद्र सरकार की कोशिश में फिलहाल समय लगेगा। विपक्ष की मांग के बाद इसे प्रवर समिति में भेज दिया गया और अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक इसे रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। उसके बाद ही इसे संसद से मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

केंद्र सरकार की ओर से राज्य सभा में पेश किया गया राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग (एनएसईबीसी) के गठन का बिल मंगलवार को पारित नहीं हो सका। सोमवार को इसे लोकसभा में पेश किया गया और वहां से यह तुरंत पारित हो गया था, लेकिन विपक्ष के बहुमत वाली राज्यसभा में अटक गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि देश के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए सदन को इसे सर्व सम्मति से पारित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस आयोग का तत्काल गठन बहुत जरूरी है। संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी सदस्यों और सदन से इस संबंध में अनुरोध किया, जबकि विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह दूसरा मौका है जब सरकार इस तरह किसी बेहद महत्वपूर्ण बिल को चुपके से ला रही है। यह आज के काम-काज की सूची में भी शामिल नहीं था।

इतने अहम विषय पर विचार करने या संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए सदन को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था। लिहाजा इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया। अध्यक्ष भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव को बनाया गया है। ध्यान रहे कि इससे पहले भी उन्हें आठ अहम विधेयकों पर चर्चा के लिए समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी।

इसी तरह विपक्ष ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक को भी राज्य सभा में पेश किए जाने से सरकार को यह कहते हुए रोक दिया कि इसे पहले से तय कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था।

नए आयोग का गठन देश में पिछड़े वर्गों की पहचान और उनकी शिकायतों की सुनवाई के लिए मोदी सरकार का एक बड़ा कदम होगा। इसे संवैधानिक दर्जा हासिल होगा। इसके साथ ही पहले से चल रहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को समाप्त कर दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है यह केंद्र सरकार के सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय के तहत चलने वाला वैधानिक आयोग है। मौजूदा आयोग को 1993 में संसद में पारित कानून के तहत गठित किया गया था।

नया आयोग राष्ट्रीय अनसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनसूचित जनजाति आयोग की तरह संबंधित वर्ग के लोगों की शिकायतों की सुनवाई भी कर सकेगा। संविधान में इसके लिए धारा 338 बी जोड़ी जाएगी। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्यों का प्रावधान होगा। इसका गठन हो जाने के बाद विभिन्न वर्गों की ओर से पिछड़े वर्ग में शामिल किए जाने की मांग पर भी विचार यही करेगा। साथ ही पिछड़ा वर्ग की सूची में किसी खास वर्ग के ज्यादा प्रतिनिधित्व या कम प्रतिनिधित्व पर भी यही सुनवाई करेगा। यह भी तय किया गया है कि आयोग की सिफारिश सामान्य तौर पर सरकार को माननी ही होगी। लंबे समय से आम लोगों की ओर से और साथ ही संसद में जन प्रतिनिधियों की ओर से यह मांग की जा रही थी कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक संवैधानिक आयोग का गठन हो।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खिलाफ याचिका रद्द

नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिका रद्द कर दी है। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी जुलाई 2014 में इस मुद्दे पर याचिका रद्द कर चुका है। ऐसे में इस पर सुनवाई का कोई आधार नहीं है।

याचिका विजयलक्ष्मी झा ने दायर की थी। उनका कहना था कि अनुच्छेद 370 के तहत अस्थायी रूप से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान था। इसका उद्देश्य वहां पर विधानसभा का गठन करना था। ऐसे में वर्ष 1957 में वहां विधानसभा

के गठन के साथ ही अनुच्छेद के तहत किया गया प्रावधान स्वयं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 65 वर्ष बीतने के बाद भी यह लागू है। याचिका में इस तथ्य का उल्लेख भी किया गया कि 17 नवंबर 1956 और 26 जनवरी 1957 को जम्मू-कश्मीर के लिए एक अलग संविधान बना दिया गया। राष्ट्रपति और संसद ने इसे अब तक मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में अलग संविधान की कोई वैधता नहीं है। याची के अनुसार, उन्हें 28 मई 2014 को समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ था कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय लिया है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में यह अब भी लागू है।